न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
90 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	11.11.2022	24.02.2023

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
..........आवेदक

बनाम

1—श्री विशाल जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स सोनू प्रोविजन स्टोर जैन नसियां के पास महावीर मार्ग देवली रोड जिला टोंक राज. निवासी प्लॉट नं. 31—बी, शास्त्री नगर टोंक जिला टोंक
..........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थी के पिता श्री रतन लाल जैन उप.।

:—**निर्णय**—: **दिनांक 24.02.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.07.2022 को समय 11:39 पी.एम पर मैसर्स सोनू प्रोविजन स्टोर जैन नसियां के पास महावीर मार्ग देवली रोड जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री विशाल जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विशाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **आयोडाईज्ड नमक न्यू सूर्या ब्राण्ड (Iodised Salt New Surya Brand)** के 1—1 किलोग्राम के 22 नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री विशाल जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **आयोडाईज्ड नमक न्यू सूर्या ब्राण्ड (Iodised Salt New Surya Brand)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 1—1 किलोग्राम के 4 नग खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **आयोडाईज्ड नमक न्यू सूर्या ब्राण्ड (Iodised Salt New Surya Brand)** 1—1 किलोग्राम के 4 नग को को ज्यों का त्यों एक—एक नग के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

बराबर–बराबर चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3221 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3221 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री विशाल जैन ने बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया एवं आवेदक द्वारा बाद में वारन्टी बिल हेतु श्री विशाल जैन को पत्र लिखा जाने पर भी कोई खरीद बिल पेश नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2022 / 2138 दिनांक 16.08.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. / 2391 / एक्ट / 2022 / 2418 दिनांक 26.07.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **आयोडाईज्ड नमक न्यू सूर्या ब्राण्ड (Iodised Salt New Surya Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके पिता श्री रतन लाल जैन उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **आयोडाईज्ड नमक न्यू सूर्या ब्राण्ड (Iodised Salt New Surya Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **आयोडाईज्ड नमक न्यू सूर्या ब्राण्ड (Iodised Salt New Surya Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबधित मद में निर्णय दिनांक 24.02.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक